कार्यालय जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त, पलामू।

(महात्मा गांधी नरेगा कोषांग)

विज्ञापन संख्या– 01/2021

सरकार के प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 4729 दिनांक 04.06.2007, 7646 दिनांक 23.10.2009 एवं 6440 दिनांक 17.07.2012 नियुक्ति सेवा शर्त्त कर्त्तव्य (संशोधन), नियमावली, 2012 एवं ज्ञापांक 848 दिनांक 21.03.2017 (संशोधित नियुक्ति सेवा शर्त्त कर्त्तव्य नियमावली, 2017) के आलोक में महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अन्तर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पलामू जिले में प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष), कम्प्यूटर सहायक, लेखा सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक के रिक्त पद पर पूर्णतया संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु निम्न विवरणी अनुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

1. **रिक्त पद की विवरणी :–**

क्र0 सं0	पद का नाम	अ0जा0	अ0ज0जा0	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	कुल पद
1	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	01	00	00	00	01	02
2	तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	05	02	02	01	10	20
3	कम्प्यूटर सहायक	01	00	01	01	02	05
4	लेखा सहायक	00	01	00	00	00	01
5	ग्राम रोजगार सेवक	03	01	01	00	06	11

(तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष) एवं लेखा सहायक पद का आरक्षण रोस्टर आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर के पत्रांक 417 दिनांक 11.07.2019 एवं पत्रांक 541 दिनांक 21.08.2021 से अनुमोदित है एवं शेष पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन आरक्षण रोस्टर के प्रत्याशा में प्रकाशित किया गया है।)

- उपरोक्त कोटिवार रिक्तियों की संख्या भविष्य में घट–बढ़ सकती है।
- नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत आरक्षण नीति लागू मानी जायेगी।

2. **शैक्षणिक योग्यता –**

(क) **प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं –**

(i) **अनिवार्य योग्यता** – सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण। सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण, जिनका प्राप्तांक प्रतिशत 55 प्रतिशत से कम है परन्तु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हों तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुलयता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जायेगा तथा ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जायेगा।

(ii) **अतिरिक्त योग्यता–**

(a) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0/बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स तथा/एम0सी0ए0/एम0एस0सी0(कम्प्यूटर विज्ञान) अतिरिक्त योग्यताएं मानी जायेगी। एम0बी0ए0 एवं पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0आर0डी0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5

Scanned with CamScanner

घटाकर एम0बी0ए0 की कोटि में प्राप्तांक प्रतिशत जोडा जायेगा। बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर को बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोडा जायेगा।

(b) एम0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएं समझा जाएगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोडें जाएंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा, जबकी अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 या बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस या बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स के पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम0सी0ए0 की कोटि मे रखा जायेगा

(ख) तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष) के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं –

(i) **अनिवार्य योग्यता** – सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी0ई0 या बी0टेक अनिवार्य योग्यता होगी।

(ii) **अतिरिक्त योग्यता–(I)** सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में एम0टेक0 तथा पी0जी0डी0सी0ए0 / एम0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।

(II) एम0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएं समझा जाएगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोडें जाएंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।

(ग) लेखा सहायक के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं –

(i) **अनिवार्य योग्यता** – सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से बी0कॉम ऑनर्स या सामान्य बी0कॉम न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण। सामान्य बी0कॉम उत्तीर्ण, जिन्हें 55 प्रतिशत प्राप्त नहीं हुआ हो, परन्तु जिन्होंने तत्पश्चात एम0कॉम किया हो तो वे आवेदन दे सकेंगे परन्तु बी0कॉम के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटा कर उसे बी0कॉम ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा।

(ii) **अतिरिक्त योग्यता –**

(a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से एम0कॉम, बी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 / पी0जी0डी0सी0ए0 / एम0एस0सी0 अतिरिक्त योग्यता होगी।

(b) एम0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जाएगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जाएंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जाएगा जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 के पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जाएगा।

(घ) कम्प्यूटर सहायक के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं –

(i) **अनिवार्य योग्यता –**

(a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे :–

i. बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स,

ii. बी0एस0सी0 कम्प्यूटर सामान्य,

iii. बी0सी0ए0,

iv. सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 उत्तीर्ण।

Scanned with CamScanner

(b) बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए उसे बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। वैसे सामान्य स्नातक जिन्होंने तत्पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो, के सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटाकर बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा।

(ii) अतिरिक्त योग्यता –

(a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम0सी0ए0/ पी0जी0डी0सी0ए0/ एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।

(b) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएं समझा जाएगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जाएंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जाएगा जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0/सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर के पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक प्रतिशत को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जाएगा।

(ड.) ग्राम रोजगार सेवक के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं –

(i) अनिवार्य योग्यता –

(a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इन्टरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड में आईटीआई, मैट्रिक के पश्चात आईटीआई की स्थिति में आईटीआई के प्राप्तांक प्रतिशत को इन्टरमीडिएट प्राप्तांक प्रतिशत के समतुल्य समझा जाएगा।

(ii) अतिरिक्त योग्यता –

(a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय/संकाय में स्नातक प्रतिष्ठा/ सामान्य स्नातक/बी0सी0ए0 तथा किसी विषय में स्नातकोत्तर/पी0जी0डी0सी0ए0/ पी0जी0डी0वी0ए0/पी0जी0डी0आर0डी0 अतिरिक्त योग्यता होगी।

(b) स्नातक प्रतिष्ठा के प्रतिशत प्राप्तांक को 5 अंक का अधिभार देते हुए स्नातक की कोटि में अंकित किया जाएगा। पी0जी0डी0सी0ए0/पी0जी0डी0वी0ए0/पी0जी0डी0आर0डी0 को स्नातकोत्तर की श्रेणी में लाने के लिए उसके प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जाएगा।

(iii) अभ्यर्थियों का योग्यता स्कोर का निर्धारण इण्टरमिडियट, स्नातक तथा स्नातकोत्तर योग्यताओं के कुल औसत प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।

नोट :– **(क से ड.) में वर्णित सभी शैक्षणिक योग्यताएं जिसकी सरकारी मान्यता प्राप्त हो, ही मान्य होगी।**

3. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 4729 दिनांक 04.06.2007 से निर्गत नियुक्ति, सेवाशर्त कर्तव्य नियमावली–2007 के बिन्दु 10 के अनुपालन में सरकार के प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प ज्ञापांक (N) 1742 दिनांक 03.07.2019 के अनुसार मासिक संविदा राशि देय होगी तथा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा समय समय पर यथासंशोधित देय होगी।

पद	परिलब्धि
प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	19,500.00 (उन्नीस हजार पाँच सौ रूपये) प्रति माह
तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	19234.00 (उन्नीस हजार दो सौ चौतिस रूपये) प्रति माह
लेखा सहायक	10000.00 (दस हजार रुपये) प्रति माह
कम्प्यूटर सहायक	10000.00 (दस हजार रुपये) प्रति माह
ग्राम रोजगार सेवक	7500.00 (सात हजार पाँच सौ रुपये) प्रति माह

Scanned with CamScanner

4. कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प ज्ञापांक 4550 दिनांक 31.05.2016 के संदर्भित सरकार के उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 2435 दिनांक 14.08.2018 एवं अपर मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक (N) 439 (अनु0) दिनांक 21.08.2018 के आलोक में नियुक्ति हेतु समूह–'ख', 'ग' एवं 'घ', में नियुक्ति हेतु साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा समाप्त की गयी है, जो इस नियुक्ति में लागू होगी।

5. आवेदन पत्र एवं विवरणी पलामू जिले के वेबसाईट www.palamu.nic.in पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र दिनांक 13/10/2021 से 22/10/2021 तक Online (https://applyrdd.jharkhand.gov.in/) के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।

6. आयु सीमा –

			विकलांगों के लिए
(i)	अनारक्षित	– 35 वर्ष	–45 वर्ष
(ii)	पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग	– 37 वर्ष	–47 वर्ष
(iii)	महिला (अनारक्षित/ पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	– 38 वर्ष	–48 वर्ष
(iv)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	– 40 वर्ष	–50 वर्ष

आयु सीमा की गणना दिनांक 01.10.2021 के आधार पर की जायेगी।

6. नियुक्ति हेतु शर्तें

(i) परिलब्धि अथवा मानदेय भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित राशि के आधार पर पुनरिक्षित मानदेय देय होगा।

(ii) नियमावली के परिशिष्ट I तथा II में उल्लेखित पद पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा।

(iii) उपरोक्त पदो पर शैक्षणिक योग्यता के घटते हुए क्रम में आवेदकों की प्रारम्भिक मेधा सूची तैयार की जायेगी एवं आवश्यकतानुसार दक्षता परीक्षा ली जा सकती है।

(iv) प्रारम्भिक चरण में उनकी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके उनके कार्यो की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा तत्पश्चात् राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णय के अनुरूप यदि उनकें सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा ही कार्य की समीक्षा के पश्चात् उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।

(v) संविदा के आधार पर नियुक्ति का नियम नियुक्ति नियमावली 2007 के 11 (ख) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(vi) प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष), कम्प्यूटर सहायक, लेखा सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक के पद पर चयन पलामू जिले के लिए किया जायेगा। यह पद जिला स्तरीय होगा। उक्त पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन संबंधित जिला के किसी भी प्रखण्ड में करने के लिए उपायुक्त, पलामू सक्षम होगें एवं उनका निर्णय बाध्यकारी होगा। ऐसे पदस्थापन स्थल को आपके द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

(vii) यदि कोई कार्यरत कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा, तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर

Scanned with CamScanner

कार्यरत कर्मी की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। परंतु कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त कर दी जाएगी।

(viii) उक्त पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का कार्य/कर्तव्य/उत्तरदायित्व महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियत 2005, केन्द्र सरकार द्वारा इस पर जारी दिशा निदेशों/मार्गदर्शिका, राज्य सरकार द्वारा लागू किये जाने वाले राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रावधानों एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निदेशों को लागू करने के उद्देश्य से आवश्यकताओं को चिन्हित कर निर्धारित किया जा सकेगा।

(ix) उक्त पदों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना तथा प्रशिक्षण के अन्त में यदि कोई परीक्षा आयोजित की जाती है, तो उसमें उत्तीर्णता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात ही आपकी नियुक्ति मान्य होगी।

(x) योगदान करने के साथ ही यह समझा जायेगा कि आप मनरेगा योजना अन्तर्गत संविदा आधारित पदों की नियुक्ति नियमावली में दिए गए शर्तो एवं भविष्य में सरकार द्वारा दिए गए निदेशों के अनुरूप कार्य करने हेतु सहमत हैं।

(xi) औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों का दक्षता जांच किया जायेगा।

7. <u>सामान्य निर्देश :-</u>

1. **राष्ट्रीयता – आवेदक भारत का नागरिक हो।**
2. **आरक्षण –** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत आदेशों के अनुरूप निर्धारित किया जायेगा तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण एवं जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
3. **स्थानीयता नीति –** स्थानीयता नीति कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक 3198 दिनांक 18.04.2016 के द्वारा प्रवृत आदेश लागू है, एवं सरकार के प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक 821 दिनांक 05.02.2021 मान्य होगा।
4. आवेदन के साथ यह शपथ पत्र देना होगा कि झारखण्ड राज्य के किसी अन्य जिला में इस पद विशेष हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया गया है। यदि उनका शपथ पत्र कभी भी गलत पाया गया तो उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी तथा उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।
5. आवेदन पत्र के साथ सभी प्रकार के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, शपथ पत्र (court affidavit मुल प्रति) एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। अभ्यर्थियों को अपने विश्वविद्यालय/संस्थान की UGC/AICTE/DEB से मान्यता से संबंधित कागजात/ऑनलाईन की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. जिन अभ्यर्थियों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र में CGPA/Grade अंकित हो तो वे अभ्यर्थी अपने संबंधित विश्वविद्यालय/ संस्थान से प्रतिशत में अंतरण कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. जिला में उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध नियुक्ति हेतु तैयार प्रारम्भिक मेघा सूची से अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का सत्यापन इत्यादि के लिए गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।
8. सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड रांची के पत्रांक 5994 दिनांक 18.08.2009 द्वारा उक्त पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु वरीयता/प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी, जिसकी वैधता दो वर्ष रहेगी।
8. विज्ञापन में किसी कारणवश आंशिक संशोधन या पूर्णतः रद्द करने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति के पास सुरक्षित होगा।
9. किसी भी प्रकार के विवाद के स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति का होगा और इसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं की जा सकेगी।

ह० (अपठनीय)
उपायुक्त, पलामू।

Scanned with CamScanner